भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2070
दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 को उत्तर के लिए

नारी अदालत

2070. श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) वर्ष 2014-2015 तक पारिवारिक महिला लोक अदालतों (पीएमएलए) के आयोजन के लिए गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता था;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान महिलाओं को स्थानीय स्तर पर उनके सामने आने वाली समस्याओं के लिए वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) योजना पर खर्च और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा सहित क्या स्थिति है; और

(घ) पायलट आधार पर कार्यान्वित की जा रही योजना का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) जी हां । राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आयोग 2014-2015 तक परिवारिक महिला लोक अदालतों (पीएमएलए) के आयोजन के लिए गैर सरकारी संगठनों को केवल वित्तीय सहायता प्रदान किया करता था। इसके बाद, एनसीडब्ल्यू द्वारा इस स्कीम को बंद कर दिया गया है।

(ख) से (घ) पीएमएलए को बंद किए जाने के बाद, राष्ट्रीय महिला आयोग में निम्नलिखित वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र मौजूद हैं:

i. आयोग ने लंबित मामलों को मौके पर ही निपटान करने और शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों और पुलिस अधिकारियों के समन्वय से "महिला जन सुनवाई" शुरू की गईं है।

ii. राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के लिए कानूनी सहायता को अधिक सुलभ बनाने के लिए 29 मार्च, 2022 से दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से कानूनी सेवा केंद्र (क्लिनिक) शुरू किया है। विधिक सहायता केंद्र (क्लिनिक)अधिनियम घरेलू हिंसा और अन्य मुद्दों में मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करके महिलाओं की शिकायतों को हल करने के लिए एकल-खिड़की सुविधा के रूप में कार्य करते हैं।

iii. 24x7 एनसीडब्ल्यू महिला हेल्पलाइन रेफरल (पुलिस, वन स्टॉप सेंटर, अस्पताल जैसे उपयुक्त प्राधिकरण के साथ लिंक) के माध्यम से हिंसा से प्रभावित महिलाओं को तत्काल सहायता और राहत के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करती है और देश भर में महिलाओं से संबंधित सरकारी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम 'मिशन शक्ति' शुरू किया है जिसे महिलाओं की सभी चिंताओं और मुद्दों को समझने तथा समाधान करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। मिशन शक्ति में शामिल घटकों में से एक नारी अदालत है जिसका उद्देश्य महिलाओं को स्थानीय स्तर पर उनके द्वारा सामना किए जाने वाले क्षुद्र प्रकृति (उत्पीड़न, तोड़फोड़, अधिकारों या हकदारियों में कटौती) के मामलों को हल करने के लिए एक वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करना है।

मंत्रालय द्वारा प्रायोगिक आधार पर नारी अदालत के नए घटक को लागू करने के लिए असम और जम्मू एवं कश्मीर का चयन किया गया है। जम्मू और कश्मीर ने वर्ष 2023-24 के दौरान प्रारंभिक चरण में प्रत्येक पंचायत में 9 सदस्यों के साथ 50 गांवों को कवर करते हुए 2 आकांक्षी जिलों अर्थात् कुपवाड़ा और बारामूला को चुना है।

असम राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 के दौरान प्रारंभिक चरण में प्रत्येक पंचायत में 7 सदस्यों के साथ 50 ग्राम पंचायतों को कवर करते हुए 7 जिलों और 7 ब्लॉकों का चयन किया है। असम द्वारा चुने गए 7 आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों का विवरण निम्नानुसार है:-

असम राज्य में प्रस्तावित जिले और ब्लॉक

क्रम.सं	**जिला**	**ब्लॉक**
1.	बारपेटा	मंडिया
2.	बक्सा	तामुलपुर
3.	गोलपाड़ा	लखीपुर
4.	दक्षिण सालमारा-मनकचर	फेकमारी

5.	उदलगुड़ी	भेरगांव
6.	दर्रांग	पब मंगलदोई
7.	मोरीगांव	कपिली

वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जम्मू और कश्मीर के संबंध में 21.60 लाख रुपये और असम के लिए 20.80 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई है ।

*****